

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्री राजूलाल पुत्र मोतीलाल शर्मा
निवासी ब्रह्मपुरी तहसील व जिला
भीलवाडा

बनाम श्री प्यारचन्द्र पुत्र गोपाललाल
शर्मा नि0 ब्रह्मपुरी तहसील व
जिला भीलवाडा वगै0

धारा 111-128 एल0आर0एक्ट0

मुकदमा नम्बर 34 / 2022

Online No. 2022/55

17.01.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र में अंकित आराजियात एवं जमाबन्दी अनुसार उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। संयुक्त खातेदारी भूमि के बिना विभाजन कराये पत्थरगढी सम्पादन नहीं की जा सकती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 एल0आर0एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद दाखला नम्बर से कम हो


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा